प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिला**–भ्रनिब्यूरो, चौकी, कोटा शहर, कोटा **थाना**–प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो जयपुर
2. प्र0इ0रि0 सं. .....255/2022..... दिनांक...27/6/2022
3. अधिनियम व धाराऐं:–
   (I)अधिनियम–**पी0सी0 एक्ट (संशोधित) 2018** धाराये.–....7
   (II) अधिनियम–..... धारायें–.....
   (III)अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV)अन्य अधिनियम एवं धाराये..... 120 बी भादस
4. रोजनामचा एवं घटना तिथि का विवरण:–
   (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....508 समय–.....12.40 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन (वार) .....सोमवार... दिनांक–22.11.2021 समय–03.20 पीएम...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक–.....22.11.2021 समय–....03.20 पीएम
5. सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक:–लिखित
6. घटनास्थल :–
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **12 किमी दक्षिण**
   (ब) घटनास्थल का पता :– **पुलिस थाना आर0 के0 पुरम, जिला कोटा ।**
   (स) बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....
   (द) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
7. परिवादी / सूचनाकर्ता–
   (अ) नाम :– श्रीमती रूकमा गुर्जर
   (ब) पिता/पति का नाम :– स्व0 श्री उगमाराम
   (स) जन्मतिथी/वर्ष :– 40 साल
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य)पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि.....
   जारीहोने की जगह .....
   (र) व्यवसाय :– गौवंश का दूध बेचने का व्यवसाय
   (ल) पता :– दशहरा मैदान पशु मेला स्थल कोटा
8. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित:–
   1. **श्री रामदेव हाल हैड कानि पुलिस थाना आर0 के0 पुरम, जिला कोटा ।**
   2. **अन्य संदिग्ध कानि पुलिस थाना आर0 के0 पुरम, जिला कोटा ।**
9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें). :–
11. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य :–
12. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) :–
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2021 को श्री हर्षराज खरेडिया उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को कार्यालय कक्ष मे पूर्व से बैठी हुई परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर पत्नि स्व0 श्री उगमाराम जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी दशहरा मैदान पशु मेला स्थल कोटा से परिचय करवाया तथा परिवादिया द्वारा पेश एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही के लिए दिया।

मन पुलिस निरीक्षक परिवादिया श्रीमति रूकमा गुर्जर एंव हस्त लिखित प्रार्थना पत्र को लेकर अपने कक्ष में आया तथा प्रार्थनापत्र के संबन्ध में पूछताछ की तो उसने प्रार्थना पत्र में अंकित बातों की ताईद की जो इस प्रकार है– निवेदन है कि मैं रूकमा गुर्जर पत्नि स्व0 श्री उगमाराम जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी दषहरा मैदान पषु मेला स्थल कोटा बचत करने के लिए श्री चन्दु गुर्जर द्वारा चलाई जा रही बी0सी0 में पैसे डालती हूँ जिसमें हम 15 से 20 लोग जुडे हुये हैं । जिनमें से चन्दू गुर्जर ने मेरे नाम की बी0सी0 खोलकर मेरे फर्जी दस्तखत करके मेरे हिस्से के एक लाख अस्सी हजार रूपये उठा लिए। मुझे पता चलने पर मैने मेरे बी0सी0 में सें निकले पैसों बाबत चन्दु गुर्जर सें मेरे हिस्से के पैसे मुझे देने के लिए तो उसने मुझे मेरे हिस्से के बी0सी0 के पैसे देने सें मना कर दिया। इस पर मैने चन्दू गुर्जर और उसके साथियों के खिलाफ थाना आर0के0 पुरम में शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसकी मुझे थाने वालों ने कॉपी भी नहीं दी । वहॉ के एक हैड साहब रामदेव तथा सिपाही विरेन्द्र तथा एक अन्य सिपाही सें मैने रिपोर्ट बाबत बात की थी तो इन्होने मेरी शिकायत की जांच करने तथा मुझे चन्दु गुर्जर सें पैसे वापस दिलवाने के नाम पर पृथक– पृथक रूप सें राशि मांगी जो कुल मिलाकर 50,000/ (पचास हजार) रुपये हैं । मैं इनको 50 हजार रुपये नहीं देना चाहती हूँ । मैं इनको रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहती हूँ। मेरी इनसे कोई आपसी रंजिश नहीं है। कृपया कार्यवाही करने की कृपा करें तथा कहा कि मैं ज्यादा पढी लिखी नहीं हूं तथा हस्ताक्षर करना जानती हूं ये प्रार्थना पत्र मैं दुकान सें लिखवा कर लाई हूं परिवादिया द्वारा स्वयं के दस्तखत किए हुए पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अग्रिम कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। परिवादिया द्वारा पेश टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों व मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत की मॉग का पाया गया है। इस पर परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जरका परिचय श्रीमति सरोज म.कानि. 104 से करवाया गया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी कम्पनी का निकलवाया जाकर, परिवादिया को चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा आरोपीगण हैड साहब रामदेव तथा कानि विरेन्द्र तथा एक अन्य कानि थाना आर0के0 पुरम, कोटा से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा उक्त आरोपीगणो से होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने की समझाईश की किन्तु परिवादिया को डीवीआर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आने से श्रीमति सरोज महिला कानि. को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध व्यक्ति के पास जाने से पूर्व ही डीवीआर को चालू करके परिवादिया को दें और बाद वार्ता के उससे प्राप्त कर उसे बंद कर दे। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्रीमति सरोज म.कानि. 104 की निगरानी में पुलिस थाना आरके पुरम कोटा के लिये क्रमशः 08.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021 तथा 22.11.2021 को रवाना किया गया। दिनांक 22.11.2021 को महिला कानि व परिवादिया के साथ श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 को हमराह रवाना किया । परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर व श्रीमति सरोज म.कानि. 104 तथा कानि. श्री योगेन्द्र सिंह वापस कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर के समक्ष सरोज म. कानि. ने सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी कम्पनी का पेश किया व परिवादिया ने बताया कि मैं व श्रीमति सरोज एवं श्री योगेन्द्र जीएसीबी कार्यालय से रवाना होकर थाना आर0के0 पुरम, कोटा के पास पहुँचे वहां से सरोज जी ने रिकॉर्डर चालु करके मुझे दे दिया था तथा ये निगरानी के लिए थाने सें थोडी दूर ही रूक गये थे मैं थाने में अन्दर गई जहां पर पहले मेरी वीरेन्द्र कानि. तथा बाद में चाय की दुकान पर रामदेव हैड कानि. से वार्ता हुई । रामदेव जी ने मुझ से पूर्व में 10,000 रूपये के लिए कहा था जिस पर मैने उनको 8000 रूपयों के लिए कहा था जिस पर रामदेव जी ने हां कर दी थी अतः मैने 1000 रूपये आज दे दिये तथा बाकी के 7000 रूपये बाद में देने के लिए कहा । मुझे मेरे बी.सी. के पैसे वापस दिलाने की एवज में वीरेन्द्र सें पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में तथा उसके मांगने पर मैंने 2800 रूपये तथा रामदेव हैड कानि. को 1000 रूपये दे दिये तथा विरेन्द्र को बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोला तथा रामदेव हैड साब को 1000 रूपये दिये तथा शेष रिश्वती राशि शाम को या अगले दिन रामदेव जी ने मुझ सें लाने को कहा

हैं इस पर श्रीमति सरोज महिला कानि. सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर चलाकर सुना तो परिवादिया द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई। अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादिया को दिनांक 23.11.2021 को रिश्वती राशि लेकर एसीबी कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित आने बाबत् हिदायत कर रवाना किया। दिनांक 24.11.2021 परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर कार्यालय हाजा उपस्थित आई तथा उसने बताया कि मेरी तबीयत खराब होने व दूध का काम होने तथा रूपयों का इंतजाम नहीं होने के कारण मैं दिनांक 23.11.2021 को आपके पास नहीं आ सकी। मैं एक दो दिन में रुपयों का इंतजाम कर आपको बता दुंगी अतः आप कार्यवाही 25.11.2021 तक रंख लेवें। परिवादिया को दिनांक 25.11.2021 तक राशि का इन्तजाम कर कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया। उक्त ट्रैप कार्यवाही दिनांक 25.11.2021 को की जानी है । इस पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा को जर्ये पत्र दो स्वतंत्र गवाह कल दिनांक 25.11. 2021 को समय 10.00 ए. एम. पर कार्यालय हाजा मे भिजवाने हेतु निवेदन किया ।

दिनांक 25.11.2021 को पूर्व के पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अंकित गौतम पुत्र श्री सुषील कुमार गौतम उम्र 30 साल जाति ब्राहम्ण निवासी म0 न0 09बी 18 महावीर नगर तृतीय, कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग कोटा तथा श्री रुपेश वर्मा पुत्र स्व0 श्री रामनारायण वर्मा उम्र 30 साल जाति महावर निवासी म0नं0 17 पुनम कॉलोनी गली नम्बर तीन रेल्वे अस्पताल के पास थाना रेलवे कॉलोनी कोटा हाल कच्ची बस्ती सिविल लाईन गांवडी नयापुरा कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आये। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर मय रिश्वत राशि 5000/– रूपये लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आई। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर से गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की, तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड दिनांक 22.11.2021 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर, आरोपीगण हैड साहब रामदेव तथा कानि विरेन्द्र तथा एक अन्य कानि थाना आर0के0 पुरम, कोटा के मध्य हुई थी जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्रीमति सरोज महिला कानि. के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया तो उक्त वार्ताओं मे परिवादिया ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाजें, आरोपीगण हैड साहब रामदेव तथा कानि विरेन्द्र एंव अन्य की होना पहचान की। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर ने अपने पास से निकालकर पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल पांच हजार रूपये मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को पेश किये, नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये गये। श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादिया की तलाशी महिला कानि. श्रीमति सरोज से लिवाई गई। परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिष्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पांच हजार रूपये प्लास्टिक की थैली में रखकर परिवादिया के पहने हुये स्वेटर के अन्दर दाहिनी तरफ श्रीमति सरोज महिला कानि. से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को

गवाहान् एवम् परिवादिया को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्री जोगेन्द्र सिह कानि. नं. 182 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादिया को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इषारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिष्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादिया श्रीमती रूकमा गुर्जर के समक्ष श्रीमती सरोज महिला कानि को दिया जाकर चालू व बंद करने के निर्देश देकर रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को परिवादिया के साथ जाकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिकॉर्ड करने हेतु कहा । इसके साथ ही मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान ने परिवादिया श्रीमति रूकमा बाई को श्रीमति सरोज महिला कानि. एंव कानि. श्री नरेन्द्र सिंह के साथ प्राईवेट वाहन कार, श्री मनोज शर्मा एंव मुकेष कानि. को श्री मुकेष कानि. की मोटरसाईकिल सें तथा योगेन्द्र सिंह एंव भरत सिंह कानि. को योगेन्द्र सिह की मोटरसाईकिल सें तथा मन पुलिस निरीक्षक मय श्री अजीत बगडोलिया, पु.नि., श्री दिलीप सिह वरिष्ठ सहायक एंव स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के प्राईवेट वाहन कार सें थाना आरकेपुरम कोटा के लिए रवाना हुये। श्री जोगेन्द्र सिह कानि0 182 को कार्यालय में ही छोड़ा गया।

मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय कार वाहनों एवं मोटर साईकिलों से रवानाशुदा जाब्ता मय परिवादिया एवं गवाहान के थाना आर.के. पुरम के पास पहुंचे व अपनी व जाब्ते की उपस्थिती छुपाते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु मुकिम हुए । श्रीमति सरोज महिला कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर परिवादिया श्रीमति रूकमा बाई को देकर थाना आर.के.पुरम कोटा के लिए रवाना किया। कुछ समय पश्चात् परिवादिया श्रीमति रूकमा बाई थाना आर.के.पुरम कोटा से बिना इशारा किया वापस आई । श्रीमति सरोज महिला कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द किया तथा परिवादिया ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं आपके पास सें रवाना होकर थाना आर.के.पुरम के अन्दर गई थी जहां मुझे कुछ देर इन्तजार करने पर रामदेव जी हैड साब मिल गये थे उन्होने मुझे उनके पास जाता हुआ देखकर कहा की दूर दूर रहो मेरे पास मत आओ तो मैं बाहर आ गई हो सकता हैं उन्होने पैसे उसी दिन मंगवाये थे जो समय पर नहीं आने सें नाराज हैं इसलिए मुझे वापस भेज दिया। चुंकि रिष्वत लेनदेन का कार्य आज नहीं हुआ हैं इसलिए उपरोक्त कार्यवाही आईन्दा होने की संभावना के मध्य नजर परिवादिया से रिष्वती राषि प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह श्री रूपेश वर्मा के पास सुरक्षित रखवाई तथा परिवादिया को हिदायत किया कि कोई भी कार्यवाही या आरोपियों की तरफ सें कोई सूचना आये तो मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करायें । परिवादिया को श्रीमति सरोज महिला कानि. सहित नरेन्द्र सिंह कानि. के प्राईवेट कार से दशहरा मैदान परिवादिया के निवास पर छोड़ने के लिए भेजा गया। समस्त रवानाशुदा जाब्ता मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण रिश्वती राशि के चौकी हाजा आये तथा रिश्वती राशि को मालखाने जमा कराया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादिया श्रीमति रूकमा बाई बचत करने के लिए श्री चन्दु गुर्जर द्वारा चलाई जा रही बी0सी0 में पैसे डालती है जिसमें 15 से 20 लोग जुडे हुये है, जिनमें से चन्दू गुर्जर ने परिवादिया के नाम की बी0सी0 खोलकर परिवादिया के फर्जी दस्तखत करके उसके हिस्से के एक लाख अस्सी हजार रूपये उठा लिए। परिवादिया ने पुलिस थाना आर. के. पुरम, कोटा में इसकी शिकायत दी। पुलिस थाना आर.के. पुरम, कोटा में पदस्थापित श्री रामदेव हैड कानि तथा अन्य संदिग्ध कानि द्वारा परिवादिया को बीसी संचालक श्री चन्दु गुर्जर के

विरूद्ध दर्ज षिकायत पर कार्यवाही करने व पैसे वापस दिलवाने की एवज़ में पृथक–पृथक रूप से राषि की मांग की है तथा वक्त मांग सत्यापन क्रमशः 1000 रुपये तथा 2800 रुपये रिश्वत राशि ग्रहण की है। परिवादिया ने अवगत कराया कि उन्हें शंका हो जाने से अब वे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं शायद वे अब मुझसे रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगें। वक्त मांग सत्यापन अरोपी रामदेव दो हजार रूपये अन्य कानि को देने हेतु सहमत हुआ । अतः दोनो आरोपीगणो श्री रामदेव पूत्र श्री रामप्रताप निवासी ग्राम नोटाना पोस्ट किशनपुरा तकिया थाना भीमगंजमण्डी जिला कोटा हाल हैड कानि 144 थाना आर0के0पुरम, कोटा तथा अन्य संदिग्ध कानि थाना आर0के0पुरम, कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भादस के तहत् दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। अतः आरोपियो के विरूद्व उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा, राजस्थान।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रामदेव, हैड कानि. नम्बर 144, पुलिस थाना आर.के.पुरम जिला कोटा शहर कोटा एवं 2. अन्य संदिग्ध कानि. पुलिस थाना आर.के.पुरम, जिला कोटा शहर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 255/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

27.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 2248-52 दिनांक 27.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

27.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर